रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 133] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 15, 1984/भाद्र 24, 1906
No. 133] NEW DELHI, SATURDAY, SEPT. 15, 1984/BHADRA 24, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1984

सार्वजनिक सूचना सं. 25 ईटीसी (पीएन)/84

विषय : 1-1-1985 से 31-12-1985 तक संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, आस्ट्रिया, फिनलैंड और कनाडा को खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत पोशाकों और सलाई से तैयार किए गए वस्त्रों को निर्यात करने के लिए योजना ।

मि. सं. 2/27/81-ई-1 :—यह योजना तैयार पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों की कतिपय मदों के संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों (जर्मनी गणतंत्र संघ, फ्रांस, इटली, बैनिलक्स, यू. के., आयरिश गणतंत्र, डेनमार्क और ग्रीस), आस्ट्रिया, फिनलैंड और कनाडा का 1 जनवरी, 1985 से 31 दिसम्बर, 1985 तक की अवधि के लिए निर्यात से संबंधित है ।

2. योजना को प्रशासित करने के लिए अभिकरण

(1) जब तक अन्यथा रूप से निदेश न दिया जाए तब तक परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् (ए. ई. पी. सी.) निर्यात हकदारियों का आबंटन करेगी और इस योजना के अंतर्गत आने वाली सभी पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए आवश्यक प्रमाणन करेगी, परन्तु सलाई बुने हुए ऊनी वस्त्रों का आबंटन ऊन और ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली (डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, ई. पी. सी.) द्वारा किया जाएगा । लेकिन सलाई बुने हुए वस्त्रों के संबंध में अपेक्षित प्रमाणन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा किया जाता रहेगा । इस योजना के अंतर्गत आने वाले वस्त्र उत्पादों की श्रेणियों की सूचियां परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् और ऊन और ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद् के पास उपलब्ध है । सरकार को यह अधिकार होगा कि वह योजना के प्रशासन के लिए अभिकरणों के संबंध में जैसा वह उचित समझे परिवर्तन कर सकती है ।

(2) निर्यात हकदारी केवल उन निर्यातकों के ही अनुमय होगी जो कि सक्षम पंजीकरण प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत है ।

3. आबंटन की प्रणाली और मात्रा

(1) निर्यात के लिए मात्रा प्रत्येक के सामने संकेतिक दर पर निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार आबंटित की जाएगी :—

प्रणाली	1985 के वार्षिक स्तर का %
(क) भूतकालीन निष्पादन	55
(ख) पहले आए सो पहले पाए लघु आदेश	30
(ग) विनिर्माता/निर्यातक	10
(घ) केंद्रीय/राज्य निगम	5

(2) यदि सरकार उचित समझे तो उसे द्विपक्षीय समझौते में दी गयी उदारता का उपयोग करने का अधिकार होगा।

4. आबंटन वर्ष का विभाजन तथा अवधियों के बीच मात्रा का संविभाजन

(1) भूतकालीन निष्पादन हकदारी पद्धति के मामले में, वर्ष को दो अवधियों में बांटा जाएगा। पहली अवधि 1-1-1985 से 30-4-1985 तक और दूसरी अवधि 1-5-1985 से 15-10-1985 तक होगी। कुल हकदारी का कम से कम 50% प्रथम अवधि के अन्तर्गत उपयोग में लाया जाना चाहिए। शेष अप्रयुक्त 50% स्वतः अभ्यर्पित किया गया समझा जाएगा जब तक कि अन्यथा रूप से बढ़ाई गई बैंक गारन्टी के साथ उसे जोड़ा न गया हो जैसा कि कंडिका 15 (1) में वर्णित गया है। विनिर्माता निर्यातक हकदारी पद्धति के लिए, 1-1-1985 से 15-10-1985 तक एक अवधि होगी। कंडिका 15 (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार आबंटन 15-10-1985 के बाद तक बैध किया जाए।

भूतकालीन निष्पादन और विनिर्माता निर्यातक प्रणाली के अन्तर्गत कुल आबंटन का 15 अक्तूबर, 1985 से पहले उपयोग किया जाना है यदि कोई हों तो अप्रयुक्त बची मात्रा जब तक उसकी बैधता कंडिका 15 (3) के प्रावधान के अनुसार नहीं बढ़ा दी जाती स्वतः ही अभ्यर्पित कर दी समझी जाएगी।

(2) केन्द्रीय/राज्य निगम और पहले आए सो पहले पाए के आधार पर छोटे आदेशों की प्रणाली के मामले में बुनी हुई मदों के मामले में वर्ष 3, 4 मासिक अवधियों अर्थात् जनवरी-अप्रैल, मई-अगस्त और सितम्बर-दिसम्बर में विभाजित किया जाएगा और सलाई से बुनी हुई मदों के मामले में दो अवधियों अर्थात् जनवरी-अगस्त और सितम्बर-दिसम्बर में विभाजित किया जाएगा। इन दो प्रणालियों में बुनी हुई मदों की मात्रा 50 : 35 : 15 के अनुपात में तीन अवधियों में वितरित की जाएगी, जबकि सलाई से तैयार मदों के लिए मात्रा 85 : 15 के अनुपात में दो अवधियों में वितरित की जाएगी।

(3) उपर्युक्त प्रतिशत को विदेशी बाजार के रुझान को देखते हुए सरकार द्वारा इस पर पुनः समंजित किया जा सकता है।

5. खण्डों को सुरक्षित रखना

(1) पहले आए सो पहले पाए के छोटे आदेशों तथा केन्द्रीय/राज्य निगमों की पद्धतियों के मामले में जहां पर आबंटन सलाई से बुने हुए पोशाकों के साथ मिला दिया जाता है, तो उपलब्ध 10 प्रतिशत की मात्रा सलाई से बुनी हुई पोशाकों के लिए सुरक्षित रखी जाएगी।

(2) बच्चों की पोशाकों के लिए अंतिम तिथि को सभी श्रेणियों में उपलब्ध मात्राओं का 10 प्रतिशत सुरक्षित रखा जाएगा।

(3) ऊनी पोशाकों के लिए यह आरक्षण विनिष्टिकृत देशों और श्रेणी की मात्राओं की शर्त के अनुसार किया जाएगा। इसकी घोषणा वस्त्र आयुक्त द्वारा की जाएगी।

6. भूतकालीन निष्पादन योजना

भूतकालीन निष्पादन हकदारी की परिगणना करने के लिए अभिकरण

(1) प्रत्येक निर्यातक के बारे में भूतकालीन निष्पाद प्रणाली के अंतर्गत मात्रा की हकदारी की गणना के लिए अभिकरण वस्त्र परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (ए.ई.पी.सी). होगी। वस्त्र आयुक्त इस संबंध में क्रियाविधि का निर्धारण करेगा और ए. ई. पी. सी. के कार्य का सर्वेक्षण करेगा।

भूतकालीन निष्पादन हकदारी के लिए पात्रता प्रणाली

(2) केवल वही निर्यात 1985 के लिए भूतकालीन निष्पादन प्रणाली के अंतर्गत मात्रा के आबंटन के लिए पात्र होगा, यदि उसका 1983 या जनवरी-जून 1984 के दौरान संबद्ध देश/श्रेणी में निर्यात निष्पादन है।

आधार अवधि और सीमा

(3) भूतकालीन निष्पादन हकदारी 1982, 1983 और जनवरी-जून, 1984 की आधार अवधि के दौरान औसत वार्षिक निर्यातों के आधार पर प्रत्येक देश/श्रेणी समूह के यथानुपात के लिए निश्चय किया जाएगा। भूतकालीन निष्पादन हकदारी का यथानुपात आबंटन सम्बद्ध देश/श्रेणी में आधार अवधि के दौरान निर्यातक के औसत वार्षिक निर्यात निष्पादन के बराबर अधिकतम उच्चतम सीमा के अधीन होगा। किसी भी व्यक्तिगत निर्यातक की हकदारी में बाद में होने वाले किसी भी परिवर्तन के मामले में यथानुपात मात्रा की जारी प्रक्रिया पूरा करने की दोबारा आवश्यकता नहीं है। लेकिन निर्यातक की हकदारी में उचित समंजन कर दिया जाएगा।

भूतकालीन निष्पादन हकदारी का हस्तान्तरण

(4) भूतकालीन निष्पादन हकदारी 15-10-1985 तक किसी भी समय या तो पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में

पोशाकों के अन्य पंजीकृत निर्यातक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन हस्तान्तरित किए जा सकते हैं :—

(क) भूतकालीन निष्पादन हकदारी के सभी हस्तांतरण केवल हस्तांतरी द्वारा 10% बैंक गारन्टी के प्रस्तुत करने पर ही अनुमति किए जाएंगे ।

(ख) हस्तांतरी को हस्तांतरित मात्रा के निर्यात के लिए 35 दिन की अनुमति दी जाएगी ।

(ग) जिस निर्यातक ने अपनी हकदारी एक विशेष देश/श्रेणी में दूसरे निर्यातक को हस्तांतरित की हो, वह उसी देश/श्रेणी में किसी अन्य निर्यातक से भूतकालीन निष्पादन हकदारी का हस्तांतरण पूर्ण या आंशिक रूप में मांगने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(घ) जिस निर्यातक ने पूर्ण या आंशिक रूप में विशेष देश/श्रेणी में किसी अन्य निर्यातक के हस्तांतरण द्वारा हकदारी प्राप्त कर ली है तो वह उसी देश/श्रेणी में अन्य निर्यातक को किसी भी हकदारी का हस्तांतरण करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(ङ) वह भूतकालीन निष्पादन हकदारी का व्यक्ति जो किसी देश/श्रेणी में पहले आए सो पहले पाए के छोटे आदेशों की पद्धतियों के अंतर्गत किसी हकदारी को प्राप्त करता है, तो वह इस प्रकार के छोटे आदेशों के हकदारी के बाद उस देश/श्रेणी में अपने भूतकालीन निष्पादन हकदारी से किसी भी प्रकार का हस्तांतरण करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(च) हस्तांतरी के पास हस्तांतरित हकदारियां अन्य सभी प्रकार से उन्हीं नियम और शर्तों के अधीन होंगी जो हस्तांतरक के लिए लागू हैं ।

7. पहले आए सो पहले पाए—लघु आदेश पद्धति

इस पद्धति के अंतर्गत मात्रा का आबंटन पहले आए सो पहले पाए के आधार पर पक्की संविदाओं और साख पत्रों द्वारा समर्थित आवेदन पत्रों के मद्दे किया जाएगा । साख पत्र वैध, प्रचलित और अपरिवर्तनीय होना चाहिए । इस प्रणाली के अंतर्गत आबंटन हस्तांतरित साख पत्र के मद्दे नहीं किया जाएगा । मात्रा का आबंटन केवल लघु आदेशों के लिए किया जाएगा । लघु आदेश वे हैं, जो विभिन्न देश/श्रेणी के लिए वस्त्र आयुक्त द्वारा परिमाणात्मक सीमाओं के भीतर नियम किए गए हों । ऐसी परिमाणात्मक सीमाएं उस समय के भीतर कर घोषित कर दी जाएंगी । इस पद्धति के अंतर्गत आबंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :—

(1) निर्यातक को चाहिए कि वह आबंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से कम से कम छः महीने पहले की अवधि के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् (सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों के संबंध में ऊन और ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद) के साथ पंजीकृत होना चाहिए ।

(2) एक दिन में एक निर्यातक से एक देश/श्रेणी के लिए केवल एक आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा । लेकिन एक से अधिक आवेदन पत्र दिए जा सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे आवेदन पत्रों में आने वाली मात्रा निर्धारित मात्रिक सीमा के भीतर हों ।

(3) इस पद्धति के अंतर्गत आबंटन 35 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा । तीसरी अवधि में आबंटन केवल 31 दिसम्बर, 1985 तक वैध होगा ।

(4) आबंटन पहले आए सो पहले पाए के आधार पर मंजूर किया जाएगा, और जिस दिन उपलब्ध मात्रा अतिपूर्वक्रीत हो जाएगी, उस दिन पात्रता को निर्णय उच्चतर इकाई मूल्य वसूली के आधार पर किया जाएगा ।

(5) भूतकालीन निष्पादन हकदारी वाला निर्यातक संबंधित देश/श्रेणी के लिए पैरा 6 (3) के अनुसार यथापरिकलित अपनी भूतकालीन निष्पादन हकदारी का कम से कम 50% का निर्यात करने के बाद इस पद्धति के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होगा । उसके लिए भूतकालीन हकदारी के समस्त शेष अभ्यर्पित करने का भी विकल्प होगा कि वह संबंधित देश/श्रेणी का है और तब वह पहले आए सो पहले पाए के छोटे आदेशों के अंतर्गत आवेदन करता है बशर्ते कि उसने उस देश/श्रेणी में अपनी भूतकालीन निष्पादन हकदारी के किसी प्रकार का हस्तांतरण नहीं किया है ।

(6) विनिर्माता/निर्यातक हकदारी के धारक को पहले आए सो पहले पाए के छोटे आदेश पद्धति के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र बनने से पूर्व अपनी ऐसी हकदारी का पूरा-पूरा उपयोग करना पड़ेगा या अभ्यर्पित करना पड़ेगा ।

8. विनिर्माता-निर्यातक पद्धति

इस पद्धति के अंतर्गत विनिर्माता निर्यातकों को वार्षिक स्तर के 10% तक की मात्रा का आबंटन इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि भूतकालीन निष्पादन और विनिर्माता निर्यातक प्रणाली के अंतर्गत विनिर्माता निर्यातक के लिए कुल आबंटन पैरा 6 (3) के अनुसार निकाले गए उसके औसत वार्षिक भूतकालीन निष्पादन के 110% से अधिक नहीं होगा । इस पद्धति के अंतर्गत पात्रता वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित की जाएगी, जिसके लिए वह विस्तृत अनुदेश जारी करेगा ।

9. केन्द्रीय/राज्य निगम पद्धति

केन्द्रीय/राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा नियंत्रित निगमों और केन्द्रीय/राज्य स्तरों की शिखर सहकारी हथकरघा विपणन समितियों के लिए वार्षिक स्तर के लिए अधिकतम 5% का विशेष आबंटन किया जाएगा । लेकिन यह आबंटन इन निगमों/शिखर समितियों द्वारा केवल सीधे निर्यातों के लिए होगा । इस आबंटन का 50% उन निगमों/समितियों को आरक्षित किया जाएगा जिनके पास अपनी विनिर्माता सुविधाएं हैं । निगम/शिखर समितियां भी पूर्व निष्पादन और आबंटन के पहले आए सो पहले पाए के आधार पर छोटे आदेश की पद्धतियों के अधीन मात्रा के आबंटन के लिए नीति में दी गई शर्तों को पूरा करने के अधीन

पात्र होंगी। इस पद्धति और पूर्व निष्पादन पद्धति के अधीन कुल आबंटन उपर्युक्त 6 (3) में दिए गए के अनुसार निश्चित किए गए औसत वार्षिक पूर्व निष्पादन के 110% से अधिक नहीं होना चाहिए। वस्त्र आयुक्त निगमों/शिखर समितियों की हकदारी निश्चित करेगा।

10. मंद गति वाली मदें

मंद गति वाली मदों की पहचान के लिए 1984 के प्रथम चार महीनों का और 1983 का निष्पादन हिसाब में लिया जाएगा। यदि संदर्भ के अंतर्गत इस अवधि के दौरान किसी मद का निर्यात 1984 की प्रथम अवधि के लिए या पूर्ण 1983 वर्ष के दौरान निर्धारित कोटे के 60% से अधिक नहीं हुआ है तो वह मद मंद गति वाली समझी जाएगी। लेकिन सरकार का यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि मांग की प्रवृत्ति और वार्षिक स्तर के उपयोग की प्रगति के अनुसार ऐसा न्यायसंगत हुआ तो सरकार कसौटी में परिवर्तन करेगी।

इस सार्वजनिक सूचना में अन्यत्र दी गयी किसी अन्य बात के होते हुए भी मंद गति के रूप में घोषित मदों के संबंध में निम्नलिखित छूट उपलब्ध होगी :—

(1) पहले आए सो पहले पाए छोटे आदेश पद्धति के अंतर्गत पात्रता के लिए वर्ष के दौरान किसी भी समय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के पास पंजीकरण किया जा सकता है।

(2) साख पत्र निर्धारण जरूरी नहीं होगा।

(3) निर्यातक को सामान्य बैंक गारन्टी/पेशगी धन निक्षेप के बदले में 10% का पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी पड़ेगी।

(4) पहले आए सो पहले पाए छोटे आदेश के लिए आवेदन पत्र के मामले में निर्धारित मासिक उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी। एक देश/श्रेणी में एक ही दिन में प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र की संख्या पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(5) पहले आए सो पहले पाए छोटे आदेश पद्धति के अंतर्गत लदान बिलों का सत्यापन मंद गति वाली मदों के लिए उस आबंटन अवधि के अंत तक के लिए वैध होगा जिसके दौरान आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(6) मंद गति वाली मदों में बच्चों की पोशाकों के लिए अलग न्यूनतम मूल्य हो सकता है।

11. उन मदों का आबंटन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में विशिष्ट सीमा के अधीन नहीं हैं

आबंटन पहले आए सो पहले पाए लघु आदेश पद्धति के अधीन होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में उन मदों का आबंटन करते समय जो विशिष्ट सीमा के अधीन नहीं हैं वही शर्तें लागू होंगी जो कि पहले आए सो पहले पाए लघु आदेश पद्धति पर लागू है। स्क्वायर यार्ड इक्यूवलैन्सी के अनुसार प्रतिबंधित मदों के लिए भूतकालीन निष्पादन हकदारी का अनुमेय मदों की भूतकालीन निष्पादन हकदारी में परिवर्तन करने के लिए वर्ग उच्चतम सीमा के अंतर्गत परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अनुमति दी जाए।

12. न्यूनतम निर्यात (न्यूमतम) मूल्य

प्रत्येक देश/श्रेणी के लिए सामान्यतः केवल एक न्यूनतम मूल्य होगा। वस्त्र आयुक्त न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेंगे। उनको निर्धारित करते समय वे उन सभी संबंधित तथ्यों पर ध्यान देंगे जिसमें यह भी तथ्य शामिल है कि क्या एक विशेष पोशाक को मंद गति वाली मद के रूप में अभिज्ञात किया गया है या नहीं।

13. निर्यात हकदारी के सत्यापन का वैधता अवधि

जहां वैधता अवधि पैरा 7 (3) में दिए गए के अनुसार होगी, लदान बिल पर सत्यापन पहले आए सो पहले पाए छोटे आदेश पद्धति के मामले के अतिरिक्त 21 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा।

14. साख पत्र

सभी पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए आबंटन साख पत्र की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। साख प्रचलित, वैध और अपरिवर्तनीय होने चाहिए। पहले आए सो पहले पाए लघु आदेशों और केन्द्रीय/राज्यों निगम पद्धतियों के मामले में साख पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। पहले आए सो पहले पाए के आदेश पद्धति के मामले में हस्तांतरित साख पत्र के मद्दे आबंटन नहीं किया जाएगा। भूतकालीन निष्पादन हकदारी और विनिर्माता निर्यातक हकदारी पद्धतियों के मामले में साख पत्र प्रमाणन के समय भेजने चाहिए। मन्द गति वाली मदों के लिए साख पत्रों की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पैरा 10 में दिया गया है।

15. पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारन्टी और उनको जब्त करना

(1) भूतकालीन निष्पादन हकदारी के मामले में निर्यातक को अपनी हकदारी के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 5% की दर पर 1-1-85 से आगे पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारन्टी भेजनी होगी। उसे 30-4-85 को या इससे पहले भूतकालीन निष्पादन हकदारी के 50% का उपयोग करना चाहिए। इस हकदारी का अप्रयुक्त भाग दूसरी अवधि के दौरान 15% के बढ़ाए गए पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारन्टी के साथ मिलाया जा सकता है। भूतकालीन निष्पादन हकदारी के शेष 50% या उसके भाग के संबंध में या विनिर्माता निर्यातक हकदारी के शेष अप्रयुक्त भाग के संबंध में निर्यातक को 15-10-1985 तक की अवधि के दौरान निर्यात हकदारी के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 10% की सीमा तक बैंक गारन्टी/पेशगी धन

निक्षेप द्वारा समर्थित निष्पादन बान्ड भेजना होगा । उच्चतम धन निक्षेप/बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31-5-1985 होगी। कोई निर्यातक अपनी शेष हकदारियों के किसी भाग या पूर्ण को उस भाग या पूर्ण पर उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारन्टी के 50% का भुगतान करने के बाद 31 अगस्त, 1985 से पहले या इस तिथि को अभ्यर्पित कर सकता है।

(2) विनिर्माता-निर्यातक पद्धति के मामले में निर्यातक को 1-1-1985 से आगे अपनी हकदारियों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% की दर पर पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी । 1-5-1985 से 15-10-1985 तक पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारंटी की दर 1-5-1985 से निर्यातक द्वारा शामिल की गई मात्रा के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 10% होगी।

(3) भूतकालीन निष्पादन हकदारी और विनिर्माता-निर्यातक हकदारी की वैधता 15 अक्तूबर, 1985 तक प्रतिबंधित होगी। लेकिन यह वैधता जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 20% की दर पर पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन साख पत्र द्वारा समर्थित विशेष ठेकों के लिए 31 दिसम्बर, 1985 तक बढ़ाई जा सकती है।

(4) एफ०सी०एफ०एस० छोटे आदेशों और केन्द्रीय/राज्य निगम पद्धतियों के मामले में, एक निर्यातक को आवेदित मात्रा के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% की दर पर ई एम डी/बैंक गारंटी द्वारा समर्थित निष्पादन बांड देना होगा ।

(5) एक निर्यातक जो विनिर्माता-निर्यातक पद्धति या एक विशिष्ट अवधि में आवंटन की अन्य पद्धतियों के अधीन 15-10-1985 को या इससे पूर्व उसे आवंटित निर्यात हकदारी के 90% तक का निर्यात करता है जिसमें पूर्व निष्पादन हकदारी शामिल होगी, उसकी ई एम डी/बैंक गारंटी जब्त नहीं होगी । जो निर्यातक 75% तक किन्तु 90% से कम निष्पादन करता है उसका कुछ अंश जब्त किया जा सकता है। यदि निर्यात हकदारी आवंटन का उपयोग 75% से कम है तो निर्यात की पूरी ई एम डी/बैंक गारंटी जब्त की जा सकती है। 15 अक्तूबर, 1985 तक पूर्व निष्पादन हकदारी और विनिर्माता-निर्यातक पद्धति के अधीन पुनर्वैधीकरण के मामले में, यदि व्यक्तिगत संविदा के अंतर्गत 90% की मात्रा तक उपयोग में नहीं लाई जाती है तो बैंक गारन्टी/ई एम डी की सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जाएगी। ये प्रावधान जब भी शुरू होंगे, अनिवार्य बद्धता की शर्तों के अधीन होंगे।

(6) केन्द्रीय/राज्य निगमों के मामले में जहाँ उपयोग वैधता अवधि के भीतर 75% से कम नहीं है, निर्यातक को निर्यात हकदारी वर्ष के भीतर अगली आवंटन अवधि के लिए समय-वृद्धि लेनी होगी। ऐसी समय-वृद्धि के लिए आवेदन पत्र सम्बद्ध आवंटन अवधि के अंत से एक मास के भीतर दाखिल करने चाहिएं। ऐसे मामलों में, निर्यातकों को शेष मात्रा के लिए सामान्य दर से दुगनी दर पर पेशगी धनराशि जमा करनी होगी। बैंक गारन्टी देनी होगी । पूर्ण रूप से निर्यात करने में असफल होने पर पेशगी धनराशि निक्षेप/बैंक गारन्टी पूरी तरह जब्त हो जाएगी।

(7) वे व्यक्ति जिन्हें कोटे आवंटित किए जाते हैं, किन्तु वे उनका पूरा-पूरा उपयोग नहीं करते हैं तो इस संबंध में जो कुछ अन्य कार्रवाई की जाएगी उसे ध्यान में रखे बिना उन्हें और आगे कोटा देने में अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

16. पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी जब्त करने के विरुद्ध अपील

आवंटित निर्यात हकदारी के उपयोग न करने के लिए पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी के जब्त करने के विरुद्ध निर्यातकों द्वारा किए गए प्रतिवेदनों पर उपयुक्त विचार करने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि लागू होगी। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी जब्त किए जाने पर संबद्ध निर्यातक ऐसे जब्तीकरण की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त, बंबई को उसके विरुद्ध अपील कर सकता है। वस्त्र आयुक्त ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद शीघ्र से शीघ्र निर्णय देंगे। यदि किसी मामले में, निर्यातक वस्त्र आयुक्त के निर्णय से असन्तुष्ट हो तो वह निर्णय प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। दूसरी अपील वस्त्र विभाग को की जाएगी और उस पर सरकार द्वारा कायम की गई समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

17. 16 अक्तूबर, 1985 से उपलब्ध मात्रा को शामिल करना

इस सार्वजनिक सूचना में किसी भी अन्य स्थान पर निहित किसी भी नियम को ध्यान में रखे बिना ही 16 अक्तूबर, 1985 को उपलब्ध शेष मात्रा, चाहे वह बिना स्तरों से या अभ्यर्पण से प्राप्त हो, एक सामान्य समूह में मिलाई गई समझी जाएंगी और विभिन्न विभागों के लिए किसी आरक्षण के बिना पहले आए सो पहले पाए लघु आदेश पद्धति के अधीन उस मात्रा को बांटा जाएगा ।

18. निर्यात हकदारी आवंटन का पर्यवेक्षण

वस्त्र आयुक्त, बम्बई निर्यात हकदारी के आवंटन से संबंधित मामलों पर दिन प्रति दिन पर्यवेक्षण जारी रखेगा। एक समन्वय समिति, जिसके वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष होंगे, और सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, समय-समय पर नीति के परिचालन की पुनरीक्षा करेगी । विचारों में विभिन्नता होने पर वस्त्र आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा ।

19. सीमा शुल्क द्वारा निकासी

(क) नियंत्रण के अधीन उत्पाद जिनमें वे मदें भी शामिल हैं जो यू०एस०ए० में विशिष्ट मदों के अधीन न हों

पोतलदान की अनुमति सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान के पत्तनों पर परिधान निर्यात संवर्धन परिषद या इस उद्देश्य के लिए नियत किसी अन्य उपयुक्त निकाय द्वारा जारी किए गए अलग-अलग माल परेषणों के लिए मूल पोत परिवहन बिलों पर और उनकी अनुलिपि प्रति पर पृष्ठांकन के आधार पर दी जाएगी।

(ख) हथकरघा उत्पाद

जब तक कनाडा को नियंत्रित मदों के संगत सभी हथकरघा पोशाकों और आस्ट्रिया को सूती हथकरघा पोशाकों के निर्यात का संबंध है, वहाँ सीमा शुल्क द्वारा पोतलदान की अनुमति वस्त्र आयुक्त द्वारा कम्बीनेशन प्रपत्र के भाग-2 में, "निरीक्षण पृष्ठांकन" के आधार पर दी जाएगी। यू० एस० ए०, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, फिनलैण्ड और स्वीडन को हथकरघा पोशाकों के निर्यात के मामले में, सीमा शुल्क पोतलदान की अनुमति वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणपत्रों का सत्यापन करने पर इसी प्रकार देगी जैसे कि हथकरघा मूल के माल के लिए।

(ग) भारतीय मदों के अधीन आने वाली पोशाकें

उन भारतीय मदों के बारे में जो कि ठेठ भारतीय परम्परागत लोक प्रचलित उत्पाद हैं, यू० एस० ए०, यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों, फिनलैण्ड, आस्ट्रिया, स्वीडन और कनाडा को निर्यात के लिए पोतलदान सीमा शुल्क द्वारा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय और वस्त्र समिति द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाणपत्रों के आधार पर अनुमित किया जाएगा।

20. (क) निर्यात प्रमाण-पत्र, उद्गम प्रमाणपत्र और बीसा

संगत द्विपक्षी समझौते के अधीन निम्नलिखित अपेक्षित प्रमाणपत्र परिधान निर्यात संवर्धन परिषद या उनके नाम में विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य परिषद द्वारा जारी किए जाएंगे :—

(1) यूरोपीय आर्थिक समुदाय :—

(क) नियंत्रण के अधीन सभी पोशाक/बुनी हुई मदों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र और उद्गम प्रमाणपत्र।

(ख) सभी गैर-नियंत्रित पोशाकों/बुनी हुई मदों के लिए उद्गम प्रमाणपत्र ।

(2) फिनलैण्ड :—नियंत्रित मदों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र

(3) स्वीडन :—नियंत्रित मदों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र।

(4) आस्ट्रिया :—नियंत्रण या निगरानी की शर्त के अधीन सूती पावरलूम/मिल निर्मित पोशाकों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र ।

(5) कनाडा :—बुने हुए पावरलूम, और मिल निर्मित मूल की पोशाकों जो नियंत्रण के अधीन हैं, केवल 500 या इससे कम कनेडियन डालर मूल्य के परेषण के लिए, निर्यात प्रमाणपत्र ।

(6) यू० एस० ए० :—(क) यू०एस० डालर 250 से अधिक मूल्य वाले परेषण की पोशाकों/बुने हुए वस्त्रों के के लिए बीसा।

(ख) यू० एस० डालर 250 या इससे कम मूल्य के परेषण की पोशाकों/बुने हुए वस्त्रों के लिए छूट प्रमाणपत्र ।

(ख) हथकरघा प्रमाणपत्र

नियंत्रित मदों के संगत सभी हथकरघा पोशाकों के कनाडा और सूती हथकरघा पोशाकों के आस्ट्रिया को निर्यात के मामले में, ऐसे उत्पादों के लिए द्विपक्षीय समझौतों में निर्धारित शर्तों के अनुसार वस्त्र समिति प्रमाणपत्र जारी करेगी।

21. पूर्व सूचना दिए बिना पहले के किसी भी उपबन्ध का संशोधन करने के लिए सरकार को अधिकार है।

22. संबद्ध निर्यात सम्वर्धन परिषद और वस्त्र आयुक्त, वस्त्र समिति और विकास आयुक्त के कार्यालयों के पते निम्न प्रकार से है :—

1. परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, सहयोग बिल्डिंग, चौथी मंजिल, 58, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
2. ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, 612/714, अशोक इस्टेट, 24, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
3. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, पोस्ट बाक्स सं० 11500, बम्बई-400020
4. वस्त्र समिति "क्रिस्टल", 79, डा० एनी बिन्सेंट रोड, बम्बई-400018
5. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वेस्ट ब्लाक, 7, आर० के पुरम, नई दिल्ली-110022.

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक
आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th September, 1984

PUBLIC NOTICE NO. 25-ETC(PN)/84

Subject : Scheme for exports under OGL-3 of Garments and Knitwear to USA, EEC Member-States, Austria, Finland, Sweden and Canada from 1-1-1985 to 31-12-1985.

F. No. 2/27/84/E.I.—This scheme relates to the exports of certain readymade garments and knitwear

items to USA, EEC Member-States (Federal Republic of Germany, France, Italy, Benelux, United Kingdom, Irish Republic, Denmark and Greece), Austria, Finland, Sweden and Canada for the period 1st January, 1985 to 31st December, 1985.

2. AGENCIES FOR ADMINISTRATION OF THE SCHEME :

(i) Unless otherwise directed, the Apparel Export Promotion Council, (AEPC) New Delhi will allocate export entitlements and do the necessary certification for export of all garments and knitwear covered by this scheme, except that the entitlements for woollen knitwear would be allocated by the Wool & Woollens Export Promotion Council (W&WEPC), New Delhi. However, in respect of woollen knitwear, necessary certification would continue to be done by the Apparel Export Promotion Council. Lists of categories of Textile Products covered under the Scheme are available with the Apparel Export Promotion Council and the Wool & Woollens Export Promotion Council. Government reserves the right to make changes, as considered appropriate, with regard to the agencies for the administration of the Scheme.

(ii) Export entitlements will be allowed only to exporters who are registered with the competent Registering Authorities.

3. SYSTEMS AND QUANTUM OF ALLOTMENT :

(i) Quantities for export will be allotted according to the following Systems at rates indicated against each of them :—

SYSTEMS	Per cent of the Annual level 1985
(a) Past Performance	55
(b) FCFS Small Orders	30
(c) Manufacturer Exporter	10
(d) Central|State Corporations	5

(ii) Government reserves the right to use flexibilities provided in the bilateral Agreements as considerd appropriate.

4. DIVISION OF THE ALLOTMENT YEAR & APPORTIONMENT OF QUANTITIES AMONG PERIODS :

(i) In the case of past Performance Entitlement system, the year will be divided into two periods. The first period would be from 1-1-1985 to 30-4-85 and the second period would be from 1-5-1985 to 15-10-1985. A minimum of 50 per cent of the total allotment made should be utilised within the first period; the unutilised balance of the 50 per cent would be deemed to be automatically surrendered unless otherwise carried over with the enhanced guarantee as mentioned in para 15(i). For the Manufacturer-Exporters Entitlement System, there will be one period from 1-1-85 to 15-10-85. The allotments may be valid, dated beyond 15-10-85 as per provisions in para 15(iii). The entire allocation under Past Performance and Manufacturer-Exporters Systems would have to be utilised before 15th October, 1985. The unutilised balance, if any, would be deemed to be automatically surrendered unless its validity is extended in accordance with the provisions in para 15(iii).

(ii) In the case of Central|State Corporations and FCFS Small Orders Systems the year will be divided into three four-monthly periods *viz.*, January-April, May-August and September-December in the case of woven items and into two periods *viz.*, January-August and September-December for knitted items. In these two systems, quantities for woven items will be distributed among the three periods in the ratio of 50:35:15, whereas the quantities for knitted items will be distributed between the two periods in the ratio of 85:15.

(iii) The above percentages may be re-adjusted by Government depending upon trends in the overseas market.

5. RESERVATION OF SEGMENTS :

(i) In the case of FCFS Small Orders and Central|State Corporations systems wherever knitted garments are clubbed with woven garments of allocation, 10 per cent of the quantity available will be reserved for knitted garments.

(ii) For children's garments, 10 per cent of the quantities available in all categories at the terminal dates will be reserved.

(iii) For woollen garments, there will be reservation in terms of quantity in specified countries and categories. This will be announced by the Textile Commissioner.

6. PAST PERFORMANCE SYSTEM :

(i) Agency for calculation of Past Performance Entitlements :

The agency for calculation of the entitlement of quantities under Past Performance System in respect of each exporter will be the Apparel Export Promotion Council, New Delhi. Textile Commissioner will supervise this work of the Apparel Export Promotion Council.

(ii) Eligibility for Past Performance Entitlement System :

An exporter will be eligible for allotment of quantities under the Past Performance System if he has export performance in the relevant country|category during 1983 or January-June, 1984.

(iii) Base period and ceiling :

The Past Performance Entitlement will be determined for each country|category combination pro-rata on the basis of average annual exports during the base period of 1982, 1983 and January-June, 1984. The pro-rata allotment of Past Performance Entitlement will be subject to maximum ceiling equivalent to the average annual export performance of the exporter during the base period in the relevant country|category. In the case of any subsequent change in the entitlement of any individual exporter, the entire exercise of pro-rata quantity need not be

re-opened but suitable adjustments will be made in the entitlement of the exporter.

(iv) Transferability of Past Performance Entitlement :

Past Performance Entitlement will be transferable either in full or in part to another registered exporter of garments at any time upto 15-10-1985 subject to the following terms and conditions :—

(a) All transfers of Past Performance Entitlement would only be allowed on submission of 10 per cent Bank Guarantee by the transferee.

(b) Transferee would be allowed 35 days to export the transferred quantity.

(c) Shipments against such transferred entitlement will be counted as the exports of the transferee.

(d) An exporter who obtains entitlement by transfer from any other exporter in a particular country| category, either in full or in part, will not be eligible to transfer any entitlement to another exporter in the same country|category.

(e) A Past Performance Entitlement holder who obtains any entitlement under FCFS Small Order Systems in a particular country-category will not be eligible to effect any transfer from his Past Performance Entitlement in that country|category after he obtains such Small Order Entitlement.

(f) The transferred entitlements in the hands of the transferee will be subject in all other respects to the same terms and conditions as those applicable to the transferor.

7. FIRST COME FIRST SERVED SMALL ORDER SYSTEM :

Under this system, quantities will be allotted on First Come First Served basis against applications supported by firm contracts and Letter of Credit. Letters of Credit should be valid, operative and irrevocable. Allocations under this system will not be made against transferred Letters of Credit. Allotment of quantities shall be made only for Small Orders, which are within the quantitative limits fixed by the Textile Commissioner for different country| category. Such quantitative limits will be announced in due course. The allotment under this system will be subject to the following conditions :—

(i) The exporters should have been registered with the Apparel Export Promotion Council (or W&WPC for woollen knitwear) on or before 31st December, 1983 to be eligible to apply for allocation under this system during 1985.

(ii) Only one application will be admissible from an exporter for one country|category on one day However, more than one application can be made provided the total quantity covered by such applications is within the stipulated quantitative ceiling.

(iii) Allotment under this system shall be valid for a period of 35 days. In the third period allotment shall be valid only upto December, 31st, 1985.

(iv) Allotment will be granted on FCFS basis, and on a day when available quantities are oversubscribed, the eligibility will be decided on the basis of higher unit price realisation.

(v) An exporter with Past Performance Entitlement will be eligible for applying under this system after exporting atleast 50 per cent of his Past Performance Entitlement for the relevant country| category as worked out according to para 6 (iii). He will also have the option of surrendering the entire balance of Past Performance Entitlement that he holds in the relevant country| category and then applying under First Come First Served Small Orders, provided he has not effected any transfer from his Past Performance Entitlement in that country|category.

(vi) A Manufacturer-Exporter Entitlemnt holder will have to utilise or surrender his such entitlement fully before becoming eligible to apply under the First Come First Served Small Order System.

8. MANUFACTURER-EXPORTERS SYSTEM :

In this system quantities to the extent of 10 per cent of the annual level will be allotted to Manufacturer-Exporters subject to the condition that the total allocation for a Manufacturer-Exporter under the Past Performance and the Manufacturer-Exporter Systems will not exceed 110 per cent of his average annual past performance as worked out according to para 6 (iii).

9. CENTRAL|STATE CORPORATIONS SYSTEMS :

For Corporations under the control of the Central| State|Union Territory Governments and Apex Cooperative Handloom Marketing Societies at the Centre|State Levels, there will be a special allocation not exceeding 5 per cent of the annual level. The allocation will, however, be made only for direct exports by these Corporations|Apex Societies. 50 per cent of this allocation will be reserved for those Corporations|Societies having their own manufacturing facilities. The Corporations|Apex Societies will also be eligible for allotment of quantities under Past Performance and First Come First Served Small Orders Systems of allotment subject to fulfilment of conditions laid down in the Policy. The total allocation under this system and the Past Performance System should not exceed 110 per cent of the average annual Past Performance as decided in accordance with 6(iii) above. The Textile Commissioner will determine the entitlement of the Corporations|Apex Societies.

10. SLOW MOVING ITEMS :

For identification of slow moving items, performance during the first four months of 1984 and performance during 1983 will be taken into account. An item could be termed slow-moving if during the period under reference its export have not exceeded 60 per cent of the level earmarked for the first four months of 1984 or during the entire year 1983. Government, however, reserves the right to change the criteria during the course of the year if warranted by the demand trend and pace of utilisation of annual levels.

Notwithstanding anything contained elsewhere in this Public Notice, the following relaxations will be available in respect of items declared as slow-moving :—

(i) Registration with AEPC|WWEPC can be done at any time during the year for eligibility under the FCFS Small Order System.

(ii) There shall be no compulsory Letter of Credit stipulation.

(iii) The exporter shall have to furnish 1 per cent Earnest Money Deposit|Bank Guarantee in lieu of normal Bank Guarantee|EMD.

(iv) The quantitative ceiling stipulated in the case of FCFS Small Orders Application shall not be enforced. There shall also not be any restriction on the number of applications that can be submitted in one day in one country|category.

(v) Certification of shipping bills under FCFS Small Orders System for slow-moving items will be valid upto the end of the allotment period during which the application has been submitted.

(vi) There may be separate floor prices for children's garments in slow-moving items.

11. ALLOCATION OF ITEMS NOT SUBJECT TO SPECIFIC LIMIT IN U.S.A. :

The allocation will be made under FCFS Small Orders System. The same conditions as applicable to FCFS Small Order System will apply while allocating items not subject to specific limit in case of U.S.A. Conversion of Past Performance Entitlement for items under restraint into items not under restraint in terms of Square Yard equivalence may be permitted by the AEPC within the Group Ceiling.

12. MINIMUM EXPORT (FLOOR) PRICE :

Normally, there shall be only one floor-price for each country|category. The Textile Commissioner will prescribe floor prices. In determining them he will take into account all relevant factors, including the fact whether a particular item has been identified as a slow-moving one or not.

13. VALIDITY PERIOD OF CERTIFICATION OF EXPORT ENTITLEMENT

A certification on the shipping bill shall be valid for a period of 21 days except in the case of FCFS Small Orders System, where the validity period will be as stipulated in para 7(iii).

14. LETTER OF CREDIT :

The allocation for all garments and knitwear will be made on Letter of Credit Terms. Letter of Credit should be operative, valid and irrevocable. In the case of FCFS Small Orders, and Central & State Corporation System, Letter of Credit should be submitted alongwith the application. Allocation will not be made against transferred Letters of Credit in the case of FCFS Small Order System. In the case of Past Performance Entitlement and Manufacturer-Exporter Entitlement System, Letters of Credit should be produced at the time of obtaining certification. Letters of Credit will not be required for slow-moving items declared as such in terms of para 10.

15. EARNEST MONEY DEPOSIT|BANK GUARANTEE AND FORFEITURE THEREOF :

(i) In the case of Past Performance Entitlement, an exporter shall be required to furnish EMD|Bank Guarantee from 1-1-1985 onwards at the rate of 5 per cent of the f.o.b. value of his entitlement. He should utilise 50 per cent of the Past Performance Entitlement on or before 30-4-85. The unutilised portion of this entitlement can be carried over with an enhanced EMD|Bank Guarantee of 15 per cent during the second period. In respect of remaining 50 per cent or part thereof Past Performance Entitlement and unutilised balance of Manufacturer-Exporter Entitlement, he shall be required to furnish Performance Bond backed by a bank guarantee|EMD to the extent of 10 per cent of the fob value of export entitlement during the period upto 15-10-85. The last date for production of higher EMD|Bank Guarantee would be 31-5-1985. An exporter may surrender part or whole of his remaining Entitlements on or before August 31st, 1985, after payment of 50 per cent of the EMD|Bank Guarantee furnished by him for quantities so surrendered.

(ii) In the case of Manufacturer-Exporter System an exporter shall be required to furnish EMD|Bank Guarantee from 1-1-1985 onwards at the rate of 5 per cent of the fob value of his entitlements. The rate of EMD|Bank Guarantee from 1-5-1985 to 15-10-1985 shall be at 10 per cent of the f.o.b. value of the quantity carried over by him from 1-5-1985.

(iii) The validity of Past Performance Entitlement and Manufacturer-Exporter Entitlement would be restricted to 15th October, 1985. However, validity can be extended upto 31st December, 1985 against specific contracts backed by Letter of Credit subject to submission of EMD|Bank Guarantee at the rate of 20 per cent of f.o.b. value.

(iv) In the case of FCFS Small Orders and Central|State Corporations Systems, an exporter shall be required to give Performance Bond backed by EMD|Bank Guarantee @ 5 per cent of the fob value of the quantities applied for.

(v) An exporter who exports not less than 90 per cent of the export entitlement allotted to him on or before 15-10-1985 in the Manufacturer-Exporter System or in a particular period under the other Systems of allotment including the Past Performance Entitlement will not be liable to forfeiture of DMD| Bank Guarantee. An exporter who performs not less than 75 per cent but less than 90 per cent will be liable to proportionate forfeiture. If the utilisation of export entitlement allocation is less than 75 per cent the exporter will be liable for forfeiture of EMD|Bank Guarantee in full. In the case of revalidation under Past Performance Entitlement and Manufacturer-Exporter Systems beyond 15th

October, 1985, the entire amount of Bank Guarantee| EMD will be forfeited unless 90 per cent of the quantity covered by the individual contracts is utilised. These provisions will be subject to conditions of *force majeurs,* wherever these arise.

(vi) In the case of Central|State Corporations where the utilisation is not less than 75 per cent within the validity period, the exporter will have the option to seek extension for the next allotment period within the export entitlement year. Applications for such extension would be filed within one month of the end of the relevam allotment period. In such cases, the exporter will have to furnish EMD|Bank Guarantee at double the normal rate for the balance quantity. In case of his failure to export fully the EMD|Bank Guarantee will be liable to be forfeited in full.

(vii) Persons to whom export entitlements are allotted but who do not utilise them fully would render themselves liable to disqualification from getting entitlements in future without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

16. APPEAL AGAINST FRFEITURE OF EMDs| BANK GUARANTEES :

For the purpose of giving the consideration to representations made by exporters against forfeiture of EMDs|Bank Guarantees for non-utilisation of allotted export entitlements, the following procedure will apply. On forfeiture of EMDs|Bank Guarantees by the Apparel Export Promotion Council, the exporters concerned may appeal against such forfeiture to the Texile Commissioner, Bombay within fifteen days of receipt of the communication regarding the forfeiture. The Textile Commissioner shall, upon receipt of the representation give a ruling as early as possible, if, in any case the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner he may prefer an appeal against the decision within 15 days of receipt of the communication conveying the decision. The Second Appeal will be with the Department of Textiles and will be dealt with by a Appellate Committee constituted by the Government.

17. MERGER OF AVAILABLE QUANTITIES FROM 16TH OCTOBER, 1985 :

Notwithstanding anything contained eleswhere in this Public Notice all balance quantities available as on 16th October, 1985 from unallocated levels or surrenders from all systems shall stand merged into a common pool and shall be allocated under the FCFS Small Orders System without any reservation for different segments.

18. SUPERVISION OF ALLOCATION OF EXPORT ENTITLEMENTS :

The Textile Commissioner, Bombay will continue to exercise day-to-day supervision over the matters relating to allocation of export entitlements. A coordation Committee with the Textile Commissioner as Chairman and with the representatives of the concerned EPCS as Members will review the operation of the policy periodically. On matters where there is difference of opinion, the decision of the Textile Commisioner will be final.

19. CLEARANCE BY CUSTOMS :

(A) Products under Restraint including items not subject to specific limits in U.S.A. :

Shipments will be allowed by Customs authorities at the ports of shipment after verifying the certification of export entitlement on the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the Apparel Export Promotion Council or any other appropriate agency designated for this purpose.

(B) Handloom Garments :

In so far as exports of all handloom garments corresponding to restrained items to Canda and Cotton Handloom Garments to Austria are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of 'Inspection Endorsement' by the Textile Commitee in Part 2 of the combination form. In the case of Exports of handloom garments to USA, EEC and Finland and Sweden, Customs will permit shipments after verification of certification by the Textile Committee as to the handloom original of the goods.

(C) Garments falling 'India items' :

In respect of "India Items" which are traditional folklore handicraft textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for exports of EEC, USA, Finland, Austria, Sweden and Canada on the basis of appropriate Certificates issued by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) or the Textile Committee.

20. (A) EXPORT CERTIFICATE, CERTIFICATE OF ORIGIN AND VISA :

The following certificates required under the relevant bilateral textile agreement will be issued by the Apparel Export Promotion Council or any other Agency duly authorised in this behalf :

(i) EEC—(a) Export Certificates and Certificate of Origin for all garments|knitwear items under restrained garments.

(b) Certificate of Origin for all unrestrained garments|knitwear items.

(ii) FINLAND—Export Certificates for restrained items.

(iii) SWEDEN—Export Certificates for restrained items.

(iv) AUSTRIA—Export of Certificates for cotton powerloom|millmade garments subject to restraint or surveillance.

(v) CANADA—Export Certificates for garments of knitted powerloom and millmade origin which are subject to restraint except for consignments valued at Canadian $ 500 or less.

(vi) USA—(a) Visa for all garment|knitwear consignment valued over US $250.

(b) Exempt certification for consignments valued at US $ 250 or less.

(B) Handloom Certificate :

In the case of export of all handloom garments corresponding to restrained items to Canada and of Cotton handloom garments to Austria, the Textile Committee will issue the certificates as prescribed in the bilateral Agreements for such products.

20. Government reserved the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

21. The addresses of the concerned Export Promotion Councils and of the offices of the Textile Commissioner, Textile Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows :—

1. The Apparel Export Promotion Council Sahyog Building 4th Floor, 58, Nehru Place, New Delhi-110019.
2. The Wool & Woollen Export Promotion Council 612|714, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi-110001.
3. Office of the Textile Commissioner, Post Box No. 11500, Bombay-400 020.
4. Textile Committee 'Crystal' 79, Dr. Annie Besant Road, Bombay-400 018.
5. Development Commissioner (Handicrafts), West Block, VII, R. K. Puram, New Delhi-110022.

P. C. JAIN, Chief Controller, Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984